



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

22 चैत्र, 1944 (श०)

संख्या - 170 राँची, मंगलवार,

12 अप्रैल, 2022 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

30 मार्च, 2022

संख्या-04/प्रशिक्षण-11-01/2020 का.-2070--विभागीय अधिसूचना सं० 3681 दिनांक 29.07.2020 द्वारा संयुक्त असैनिक प्रतियोगिता परीक्षा, 2016 के माध्यम से उप समाहर्ता के पद पर नियुक्त 02 (दो) अभ्यर्थी, विभागीय अधिसूचना संख्या 3348 दिनांक 22.07.2021 द्वारा पंचम सीमित (नियमित) उप समाहर्ता प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से नियुक्त 04 (चार) अभ्यर्थी, पंचम सीमित (बैकलॉग) उप समाहर्ता प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से नियुक्त 01 (एक) अभ्यर्थी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 19.08.2021 को पारित न्यायादेश के आलोक में तृतीय संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं० 7879 दिनांक 09.11.2021 द्वारा नियुक्त 01 (एक) अभ्यर्थी को उप समाहर्ता के पद पर नियुक्त करते हुए इन्हें जिला प्रशिक्षण हेतु विभिन्न जिलों में पदस्थापित किया गया है ।

झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के निम्नांकित नवनियुक्त पदाधिकारियों को दिनांक 18.04.2022 के प्रभाव से श्रीकृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, राँची द्वारा आयोजित आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु नामित किया जाता है :-

क्रम सं०	अभ्यर्थी का नाम	पदस्थापन का जिला
I	II	III
1.	सुश्री अमृता अरशी	देवघर
2.	श्री संतोष पाण्डे	गोड्डा
3.	श्री नवीन चन्द्र झा	खूँटी
4.	श्री नईमुद्दीन अंसारी	खूँटी
5.	श्री अमर कुमार	जामताड़ा
6.	श्री अबीश्वर मुर्मू	जामताड़ा
7.	श्री राजेन्द्र कुमार दास	रामगढ़
8.	श्री पंकज कुमार	रामगढ़

2. उपर्युक्त नामित पदाधिकारी यदि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी एवं अन्य किसी पद/प्रशाखा के प्रभार में हैं, तो संबंधित उपायुक्त आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु इन्हें प्रशिक्षण प्रारंभ होने के पूर्व उक्त धारित पदों के प्रभार से मुक्त कर देंगे ।

3. श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, राँची में प्रशिक्षण समाप्त होने के उपरांत उपर्युक्त पदाधिकारी अपने अपने पदस्थापित जिला में योगदान सुनिश्चित करेंगे ।

4. उपर्युक्त तालिका के क्रमांक- 1 तथा 2 में अंकित पदाधिकारियों के मामले में यह आदेश माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में दायर L.P.A. No.- 201/2021 में दिनांक 23.02.2022 को पारित न्यायादेश के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर S.L.P.(C) No.- 4310/2022 बरूण कुमार एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य तथा सहश्रय मामलों में दायर वार्दों में पारित होने वाले अंतिम न्यायादेश के फलाफल से प्रभावित होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ब्रह्मदेव मोदी,

सरकार के अवर सचिव ।
